भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2801

जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

कोयला बेचने के लिए ई-नीलामी हेतु मानदंड

2801. डॉ. थोल तिरूमावलवन

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान कोयला बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु मानदंडों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिवर्तनों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परिवर्तनों से अधिक खरीदारों की भागीदारी और सरकार की आय में वृद्धि हेतु सुविधा प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : सरकार ने मार्च, 2022 में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई-नीलामी के लिए एक नए कार्यतंत्र को मंजूरी दी है। कोयला कंपनियों की पूर्ववर्ती क्षेत्र-वार ई-नीलामी विंडो को समाप्त कर दिया गया है और कोयला कंपनियों के सभी नॉन-लिंकेज कोयले को अब कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक ई-नीलामी विंडो [सिंगल विंडो मोड एगनॉस्टिक (एसडब्ल्यूएमए) ई-नीलामी] के माध्यम से बेचा जाता है। यह एकल विंडो मोड एगनॉस्टिक ई-नीलामी (एसडब्ल्यूएमए ई-नीलामी) व्यापारियों सहित विद्युत और गैर-विनियमित क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। ई-नीलामी स्कीम में बदलाव बाजार की विसंगतियों को दूर करने और कोयला उपभोक्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किए गए थे।

(ग) और (घ) : कोयले की एसडब्ल्यूएमए ई-नीलामी देश भर में कोयला खरीदारों के सभी वर्गों के लिए एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कोयले की सुगम उपलब्धता की सुविधा प्रदान करती है। कोई भी भारतीय खरीदार (जैसे व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां आदि) कोयले की खरीद के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी कार्यतंत्र के माध्यम से कोयले की बुकिंग बाजार से जुड़े परिवर्तनों पर आधारित है, जिनमें भाग लेने वाले उपभोक्ताओं द्वारा क्षेत्रीय मांग में उतार-चढ़ाव और वाणिज्यिक कार्यनीति शामिल हैं।

जनवरी, 2023 में सीआईएल द्वारा एसडब्ल्यूएमए ई-नीलामी शुरू करने के साथ, ई-नीलामी में बुक की गई मात्रा वित्त वर्ष 2022-23 में 53.37 मिलियन टन (मि.ट.) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 89.38 मि.ट. हो गई है, जो लगभग 67.5% की वृद्धि दर्शाती है।
